भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4177
18 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

i/kku e=h vkokl ;kstuk d ykHkkFkh

4177. श्रीमती कनिमोझीः

क्या vkoklu vkj 'kgjh dk;l मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के प्रत्येक घटक के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने आवासों का निर्माण किया गया है;

(ख) इसके प्रत्येक घटक के अंतर्गत लाभार्थियों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने आवासों का आबंटन किया गया है;

(ग) उक्त के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कितने आवासों का निर्माण किया गया है और कितने आवास खाली पड़े हुए हैं; और

(घ) इस योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई सामाजिक संपरीक्षा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [□ीएमएवाई (यू)] का कार्यान्वयन कर रहा है। कब्जा लिए जा रहे आवासों सहित □ीएमएवाई (यू) के प्रत्येक घटक के अंतर्गत संस्वीकृत आवासों और □ूर्ण/आबंटित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

आवास राज्य का विषय है और एएच□ी और आईएसएसआर घटकों के अंतर्गत □ूर्ण कब्जा नहीं लिए गए आवासों को □ीएमएवाई (यू) के दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा आबंटित किया जाता है।

(घ): □ीएमएवाई (यू) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चयन की गई □रियोजनाओं की उनके द्वारा सामाजिक लेखा □रीक्षा की जाती है। यह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिस्□र्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित स्वतंत्र सुविधा प्रदाता एजेंसी की सहायता से

सामाजिक लेखा-□रीक्षा करने के लिए 100**%** वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सामाजिक लेखा □रीक्षा के लिए धनराशि की □हली किस्त (50**%**) आंध्र प्रदेश**,** गुजरात**,** झारखंड**,** केरल**,** उत्तराखंड,मिजोरम मणि□ुर नामक राज्यों को जारी कर दी गई है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सामाजिक लेखा-□रीक्षा के लिए अ□नी योजनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

******

अनुलग्नक-।

दिनांक 18.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4177 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत कब्जा लिए जा रहे आवासों सहित संस्वीकृत आवासों और पूर्ण/आबंटित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और घटक-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों हेतु संस्वीकृत आवास (संख्या)				पूर्ण/आबंटित कुल आवास (संख्या)				कब्जा लिए जा रहे आवास (संख्या)
		स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास (आईएसएसआर)	भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)	स्वस्थाने स्लम पुनवार्स (आईएसएस आर)*	भागीदारी में किफायती आवास(आईएस एसआर)	लाभाथार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)	ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	-	571	38	3	-	-	17	3	-
2	आंध्र प्रदेश	1,617	7,01,481	5,30,756	14,134	13,741	1,82,546	99,940	14,134	1,77,036
3	अरुणाचल प्रदेश	1,536	-	4,744	5	320	-	1,319	5	-
4	असम	-	-	70,744	783	1,257	-	13,255	783	-
5	बिहार	11,276	-	2,52,703	4,960	24,326	-	28,316	4,960	12
6	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-	-	249	4,960	-	-	249	-
7	छतीसगढ़	6,246	75,442	1,38,443	9,070	12,356	5,952	30,104	9,070	4,709
8	दादर और नगर हवेली (यूटी)	-	1,856	1,280	1,468	144	-	268	1,468	-
9	दमन और दीव (यूटी)	-	299	328	315	-	-	86	315	-
10	दिल्ली (यूटी)	-	-	-	14,111	23,980	-	-	14,111	-
11	गोवा	-	-	60	598	-	-	-	598	-
12	गुजरात	86,620	1,90,456	68,150	1,82,443	48,202	70,602	14,973	1,82,443	71,478
13	हरियाणा	3,593	1,77,071	67,411	12,473	2,387	-	1,430	12,473	-
14	हिमाचल प्रदेश	300	-	7,914	425	511	-	1,662	425	-
15	जम्मू और कश्मीर	369	1,008	32,804	476	1,431	-	3,311	476	-
16	झारखंड	19,448	44,227	1,19,904	4,002	8,885	240	53,421	4,002	322
17	कर्नाटक	23,125	3,55,461	1,74,137	29,746	24,819	5,492	90,669	29,746	7,303
18	केरल	2,118	488	1,11,348	9,882	7,554	-	34,879	9,882	14
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	10,295	1,41,954	4,99,814	37,669	20,601	15,421	2,10,536	37,669	14,517
21	महाराष्ट्र	2,23,237	4,26,762	1,73,406	1,63,528	51,008	3,674	4,954	1,63,528	6,034
22	मणिपुर	-	-	42,651	170	780	-	2,254	170	-
23	मेघालय	-	-	4,554	104	648	-	286	104	-
24	मिजोरम	142	-	29,354	531	690	-	215	531	-
25	नागालैंड	1,054	-	27,683	23	3,415	-	408	23	455
26	ओडिशा	18,535	6,462	1,14,198	2,838	8,084	-	43,202	2,838	2,304

27	पुदुचेरी (यूटी)	-	-	11,101	406	504	-	1,614	406	-
28	पंजाब	1,025	570	45,429	9,762	3,311	-	2,813	9,762	-
29	राजस्थान	21,908	45,951	85,362	29,196	32,401	3,316	18	29,196	6,590
30	सिक्किम	-	-	515	14	202	-	20	14	-
31	तमिलनाडु	4,880	1,36,977	4,78,102	28,896	41,478	22,308	1,56,411	28,896	22,054
32	तेलंगाना	1,198	1,86,786	924	22,080	8,305	41,537	-	22,080	41,537
33	त्रिपुरा	3,005	-	76,839	503	835	-	35,004	503	-
34	उत्तर प्रदेश	8,409	1,32,415	11,10,520	44,551	30,794	110	2,63,654	44,551	277
35	उतराखंड	3,130	13,180	12,745	5,598	3,216	224	1,616	5,598	-
36	पश्चिम बंगाल	472	1,056	3,31,916	17,961	28,614	-	1,06,990	17,961	-
सकल योग: -		**4,53,538**	**26,40,473**	**46,25,877**	**6,48,973**	**4,09,759**	**3,51,422**	**12,03,645**	**6,48,973**	**3,54,642**

*2014 के बाद निर्माणाधीन और पूर्ण तथा पूर्व स्कीम के अपूर्ण आवासों की संख्या शामिल है।